

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(107)एमई/ग्रुप-1/85

जयपुर, दिनांक 25 JUN 2018

—: आदेश :-

डॉ० नानिक जेटानी, आचार्य, पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज, अजमेर (जन्म तिथि 01.06.1956) की राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 10.05.2018 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप डॉ० जेटानी को दिनांक 10.05.2018 से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० नानिक जेटानी, आचार्य, पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज, अजमेर के विरुद्ध आज तक:-

- (1.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3.) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आदेश से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर।
5. परिजन डॉ० नानिक जेटानी, आचार्य, पैथोलोजी द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव